

**अनुदान संख्या 58 – उच्चतर शिक्षा विभाग**  
**GRANT No. 58 - DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION**

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving -
(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)				
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>			
स्वीकृत—	Voted-			
मूल	Original	33079,70,00		
		41016,02,00	39810,66,23	-1205,35,77
पूरक	Supplementary	7936,32,00		
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			1147,18,20
<b>पूंजीगत:</b>	<b>Capital:</b>			
स्वीकृत—	Voted-	250,00,00	250,00,00	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			शून्य Nil

**टीका और टिप्पणियां**

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹120535.77 लाख) जुलाई, 2017, दिसंबर, 2017 तथा मार्च, 2018 में प्राप्त किए गए ₹793632.00 लाख के पूरक अनुदान का 15 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:—

**Notes and comments**

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹120535.77 lakhs) constituted 15 percent of the supplementary grants of ₹793632.00 lakhs obtained in July, 2017, December, 2017 and March, 2018 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads: -

कुल अनुदान  
Total  
grant

वास्तविक व्यय  
Actual  
expenditure

बचत—  
Saving -  
(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2251"	Major Head "2251"				
सचिवालय – सामाजिक सेवाएं	Secretariat - Social Services				
मू.	O.	10173.00			
			10390.00	9771.32	-618.68
पु.	R.	217.00			
मुख्य शीर्ष "2202"	Major Head "2202"				
सामान्य शिक्षा	General Education				
मू.	O.	1468097.00			
पू.	S.	70896.00	1567455.54	1562722.07	-4733.47
पु.	R.	28462.54			
मुख्य शीर्ष "2203"	Major Head "2203"				
तकनीकी शिक्षा	Technical Education				
मू.	O.	1440400.00			
पू.	S.	695933.00	2218640.23	2218634.57	-5.66
पु.	R.	82307.23			
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"				
पूर्वोत्तर क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	207800.00			
पू.	S.	26802.00	459.70	..	-459.70
पु.	R.	-234142.30			

कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत— Saving - (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
------------------------------	--	--

शीर्ष Head	Head				
मुख्य शीर्ष “3601” राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3601” Grants - in - aid to State Governments				
मू.	O.	174500.00			
पू.	S.	1.00	189432.81	189432.77	-0.04
पु.	R.	14931.81			
मुख्य शीर्ष “3602” विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head “3602” Grants - in - aid to Union Territory Governments with Legislature				
मू.	O.	7000.00			
			505.52	505.50	-0.02
पु.	R.	-6494.48			

(I) ₹249283.90 लाख का प्रावधान (₹26802.90 लाख के पूरक अनुदान सहित) इकहत्तर शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹248702.00 लाख निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:—

(I) Provision of ₹249283.90 lakhs (including supplementary grant of ₹26802.90 lakhs remained wholly unutilised under seventy one heads; of these ₹248702.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष “2202” —

(A) Major Head “2202”-

(क) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” —

(a) “University and Higher Education” -

(i) “विश्वविद्यालयों को सहायता” —

(i) “Assistance to Universities”-

(1) “केंद्रीय विश्वविद्यालय, आंध्र प्रदेश” — ₹850.00 लाख;

(1) “Central University, Andhra Pradesh”- ₹850.00 lakhs;

(2) “आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय” — ₹1666.00 लाख;

(2) “Andhra Pradesh and Telangana Tribal Universities”- ₹1666.00 lakhs;

(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जनजातीय विश्वविद्यालय” – ₹234.00 लाख; और

(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Andhra Pradesh and Telangana Tribal Universities”- ₹234.00 lakhs; and

(ख) “भाषा विकास” –

(b) “Language Development”-

(i) “आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्द्धन – भारतीय भाषाओं का संवर्द्धन” – ₹400.00 लाख।

(i) “Promotion of Modern Indian Languages and Literature - Promotion of Indian languages”- ₹400.00 lakhs.

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above four heads remained unutilized due to non-finalization of schemes.

(ii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(ii) “Tribal Area Sub-Plan”-

(1) “हिंदी निदेशालय” – ₹106.00 लाख – प्रकाशन के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(1) “Directorate of Hindi”- ₹106.00 lakhs - due to non-receipt of proposals for publication.

(2) “अन्य स्कीमें” – ₹117.00 लाख – हिंदी के क्षेत्र में प्रकाशनों के लिए स्वैच्छिक संगठन और दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा के अंतर्गत प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।

(2) “Other Schemes”- ₹117.00 lakhs - due to non-receipt of proposals under support to Voluntary Organisation and Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha for the Publications in the field of Hindi.

(खा) मुख्य शीर्ष “2203” –

(B) Major Head “2203”-

(क) “छात्रवृत्तियाँ – छात्र वित्तीय सहायता” – ₹8400.00 लाख;

(a) “Scholarships - Student Financial Aid”- ₹8400.00 lakhs;

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – छात्र वित्तीय सहायता” – ₹1700.00 लाख।

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - Student Financial Aid”- ₹1700.00 lakhs; and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना – छात्र वित्तीय सहायता” – ₹900.00 लाख;

(c) “Tribal Area Sub Plan - Student Financial Aid” - ₹900.00 lakhs.

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान एसएफसी/ईएफसी अवधि पूरा होने के कारण प्रस्ताव प्राप्त न होने की वजह से अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above three heads remained unutilized due to non-receipt of proposals owing to completion of SFC/EFC period.

(गा) मुख्य शीर्ष “2552” –

(C) Major Head “2552” -

(क) “विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता” –

(a) “University and Higher Education - Assistance to Universities”-

(i) “इग्नू तथा राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹1162.00 लाख;

(i) “Assistance to IGNOU and State Open Universities” - ₹1162.00 lakhs;

(ii) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹22596.00 लाख;

(ii) “University Grants Commission (UGC)” - ₹22596.00 lakhs;

(iii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹10694.00 लाख;

(iii) “National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan”- ₹10694.00 lakhs;

(iv) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹46528.00 लाख (₹18588.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);

(iv) “Grants to Central Universities”- ₹46528.00 lakhs (including supplementary grant of ₹18588.00 lakhs);

(ख) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – अन्य व्यय”–

(b) “University and Higher Education - Other Expenditure”-

(i) “राष्ट्रीय अध्यापक और अध्यापन मिशन” – ₹775.00 लाख;

(i) “National Mission on Teachers and Teaching”- ₹775.00 lakhs;

(ii) “छात्र वित्तीय सहायता” – ₹1550.00 लाख; और

(ii) “Student Financial Aid” - ₹1550.00 lakhs; and

(iii) “अन्य संस्थाओं को सहायता” – ₹377.20 लाख;

(iii) “Assistance to Other Institutions”- ₹377.20 lakhs.

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

- (iv) “कौशल विकास” – ₹387.00 लाख – व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
- (ग) “भाषा विकास – निदेशन और प्रशासन” –
- (i) “अन्य स्कीमें” – ₹130.00 लाख – हिंदी के क्षेत्र में प्रकाशनों के लिए स्वयंसेवी संगठन तथा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा से प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण।
- (ii) “केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” – ₹300.00 लाख – पूर्वोत्तर क्षेत्र में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान के क्षेत्रीय भाषा केंद्रों की ओर से प्रस्ताव प्राप्त न होने कारण;
- (घ) “भाषा विकास – आधुनिक भारतीय भाषाओं तथा साहित्य का संवर्द्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए अनुदान” – ₹3053.00 लाख (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित);
- (ङ) “तकनीकी शिक्षा – प्रशिक्षण –राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान” – ₹415.00 लाख;
- (च) “तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरी, तकनीकी कालेज तथा संस्थान” –
- (i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” ₹32840.00 लाख (₹1301.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);
- (ii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹4255.00 लाख (₹350.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);
- (iv) “Skill Development”- ₹387.00 lakhs - due to non-receipt of viable proposals.
- (c) “Language Development - Direction and Administration”-
- (i) “Other Schemes”- ₹130.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from voluntary organization and Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha for publications in the field of Hindi.
- (ii) “Central Institute of Indian Languages Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centers”- ₹300.00 lakhs - due to non-receipt of proposals from Regional and Language Centres of Central Institute of Indian Languages in North Eastern Region;
- (d) “Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature- Grants for Promotion of Indian Languages”- ₹3053.00 lakhs (including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);
- (e) “Technical Education - Training - National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)”- ₹415.00 lakhs;
- (f) “Technical Education - Engineering, Technical Colleges and Institutes”-
- (i) “Indian Institutes of Technology”- ₹32840.00 lakhs (including supplementary grant of ₹1301.00 lakhs);
- (ii) “Indian Institutes of Management”- ₹4255.00 lakhs (including supplementary grant of ₹350.00 lakhs);

- (iii) “अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद” – ₹3742.00 लाख;
- (iv) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹65125.00 लाख (₹3450.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);
- (v) “अन्य संस्थाओं को सहायता” – ₹7883.00 लाख (₹700.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);
- (vi) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹1555.00 लाख;
- (छ) “सामान्य (सामान्य शिक्षा) – अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹2456.00 लाख;
- (ज) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –
- (i) “विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹225.00 लाख;
- (ii) “विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – अन्य व्यय” – ₹150.00 लाख;
- (iii) “भाषा विकास – आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्द्धन” – ₹299.00 लाख;
- (iv) “अन्य संस्थाओं को सहायता” – ₹640.30 लाख (₹60.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);
- (v) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹457.00 लाख;
- (vi) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹2320.00 लाख (₹950.00 लाख के पूरक
- (iii) “All India Council for Technical Education (AICTE)”- ₹3742.00 lakhs;
- (iv) “National Institutes of Technology (NITs)” - ₹65125.00 lakhs (including supplementary grant of ₹3450.00 lakhs);
- (v) “Assistance to other institutions”- ₹7883.00 lakhs (including supplementary grant of ₹700.00 lakhs);
- (vi) “Indian Institutes of Information Technology”- ₹1555.00 lakhs;
- (g) “General (General Education)- Other Expenditure- Digital India e-learning”- ₹2456.00 lakhs;
- (h) “Special Component Plan for Scheduled Castes” -
- (i) “University and Higher Education- Assistance to Universities”- ₹225.00 lakhs;
- (ii) “University and Higher Education- Other Expenditure”- ₹150.00 lakhs;
- (iii) “Language Development - Promotion of Modern Indian Languages and Literature”- ₹299.00 lakhs;
- (iv) “Assistance to other institutions”- ₹640.30 lakhs (including supplementary grant of ₹60.00 lakhs);
- (v) “Digital India e-learning” - ₹457.00 lakhs;
- (vi) “Grants to Central Universities”- ₹2320.00 lakhs (including

अनुदान सहित);	supplementary grant of ₹950.00 lakhs);
(vii) “तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरी तकनीकी कालेज और संस्थाएं” – ₹712.00 लाख;	(vii) “Technical Education- Engineering Technical Colleges and Institutes”- ₹712.00 lakhs;
(viii) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹300.00 लाख;	(viii) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - ₹300.00 lakhs;
(ix) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹1610.00 लाख;	(ix) “University Grants Commission (UGC)” - ₹1610.00 lakhs;
(x) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹2210.00 लाख;	(x) “National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - ₹2210.00 lakhs;
(xi) “छात्र वित्तीय सहायता” – ₹300.00 लाख;	(xi) “Student Financial Aid”- ₹300.00 lakhs;
(xii) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹3113.00 लाख (₹150.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);	(xii) “Indian Institutes of Technology (IITs)”- ₹3113.00 lakhs (including supplementary grant of ₹150.00 lakhs);
(xiii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹819.00 लाख (₹100.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);	(xiii) “Indian Institutes of Management (IIMs)” - ₹819.00 lakhs (including supplementary grant of ₹100.00 lakhs);
(xiv) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹5900.00 लाख (₹350.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);	(xiv) “National Institutes of Technology (NITs)” - ₹5900.00 lakhs (including supplementary grant of ₹350.00 lakhs);
(झ) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –	(i) “Tribal Area Sub-Plan” -
(i) “विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा – विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹113.00 लाख;	(i) “University and Higher Education- Assistance to Universities”- ₹113.00 lakhs;

- |  |  |
|--|--|
| (ii) “भाषा विकास – आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्द्धन” – ₹149.00 लाख;              | (ii) “Language Development- Promotion of Modern Indian Languages and Literature”- ₹149.00 lakhs;                 |
| (iii) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹1548.00 लाख (₹50.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);         | (iii) “Indian Institutes of Technology (IITs)”- ₹1548.00 lakhs (including supplementary grant of ₹50.00 lakhs);  |
| (iv) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹426.00 लाख (₹50.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);                | (iv) “Indian Institutes of Management (IIMs)” - ₹426.00 lakhs (including supplementary grant of ₹50.00 lakhs);   |
| (v) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹2975.00 लाख (₹200.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);          | (v) “National Institutes of Technology (NITs)”- ₹2975.00 lakhs (including supplementary grant of ₹200.00 lakhs); |
| (vi) “तकनीकी शिक्षा – इंजीनियरिंग, तकनीकी कालेज और संस्थान” – ₹346.00 लाख;                   | (vi) “Technical Education- Engineering, Technical Colleges and Institutes”- ₹346.00 lakhs;                       |
| (vii) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹1152.00 लाख (₹462.00 लाख के पूरक अनुदान सहित); | (vii) “Grants to Central Universities”- ₹1152.00 lakhs (including supplementary grant of ₹462.00 lakhs);         |
| (viii) “अन्य संस्थाओं को सहायता” – ₹329.50 लाख (₹40.00 लाख के पूरक अनुदान सहित);             | (viii) “Assistance to other institutions”- ₹329.50 lakhs (including supplementary grant of ₹40.00 lakhs);        |
| (ix) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹227.00 लाख;  | (ix) “Digital India e-learning”- ₹227.00 lakhs;  |
| (x) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹145.00 लाख;                                       | (x) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - ₹145.00 lakhs;                                       |
| (xi) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹794.00 लाख;  | (xi) “University Grants Commission (UGC)” - ₹794.00 lakhs;   |
| (xii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹1096.00 लाख; और            | (xii) “National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan (RUSA)”- ₹1096.00 lakhs; and                |

(xiii) “छात्र वित्तीय सहायता” – ₹150.00 लाख।

उपर्युक्त छत्तीस शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा और शेष राशि अभ्यर्पित की गई।

(II) निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत प्राप्त पूरक अनुदान प्रत्येक के सामने दर्शाए अनुसार पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष “2202” –

(क) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹14206.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹750.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹14956.00 लाख कर दिया गया था। तथापि, ₹5402.30 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति के कारण हुई।

(ख) “सामान्य” –

(i) “अनुसंधान – मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल” – ₹24900.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹700.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹25600.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹5687.06 लाख की बचत(पूरक अनुदान सहित) हुई;

(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल” – ₹2400.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹100.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त

(xiii) “Student Financial Aid” - ₹150.00 lakhs.

Provisions under the above thirty six heads remained unutilized due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Supplementary grant obtained under the following major heads remained wholly unutilised as shown against each:-

(A) Major Head “2202” -

(a) “University and Higher Education - Tribal Area Sub-Plan - University Grants Commission (UGC)”- the original provision of ₹14206.00 lakhs was augmented to ₹14956.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹750.00 lakhs. However, there was a saving of ₹5402.30 lakhs (including supplementary grant) - due to less receipt of viable proposals.

(b) “General”-

(i) “Research- National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences”- the original provision of ₹24900.00 lakhs was augmented to ₹25600.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹700.00 lakhs. However, there was a saving of ₹5687.06 lakhs (including supplementary grant);

(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences” - the original provision of ₹2400.00 lakhs was augmented to ₹2500.00 lakhs by

करके बढ़ाकर ₹2500.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹396.28 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

- (iii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उत्कृष्टता हेतु राष्ट्रीय पहल” – ₹1200.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹50.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹1250.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹256.23 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्तावों के प्राप्त होने, कुछ संस्थाओं द्वारा प्रस्ताव देने में विलंब और आईसीएसएसआर के क्षेत्रीय केंद्रों में वेतन संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) मुख्य शीर्ष “2203” –

(क) “इंजीनियरी, तकनीकी कालेज और संस्थान” –

- (i) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹76495.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹2575.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹79070.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹15311.50 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – कम प्रस्ताव प्राप्त होने, स्कीम को अंतिम रूप न दिए जाने तथा एसएफसी/ईएफसी अवधि समाप्त होने के कारण कम आवश्यकता की वजह से हुई।
- (ii) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹28836.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹800.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹29636.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹8070.90 लाख की बचत

obtaining supplementary grant of ₹100.00 lakhs. However, there was a saving of ₹396.28 lakhs (including supplementary grant); and

- (iii) “Tribal Area Sub-Plan - National Initiative for Excellence in Humanities and Social Sciences”- the original provision of ₹1200.00 lakhs was augmented to ₹1250.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹50.00 lakhs. However, there was a saving of ₹256.23 lakhs (including supplementary grant).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals, delay in submission of proposals by some institutions and non-finalisation of pay revision in regional centers of ICSSR.

(B) Major Head “2203” -

(a) “Engineering, Technical Colleges and Institutes”-

- (i) “Indian Institutes of Management (IIMs)”- the original provision of ₹76495.00 lakhs was augmented to ₹79070.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹2575.00 lakhs. However, there was a saving of ₹15311.50 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less proposals, non-finalization of schemes and less requirement owing to completion of SFC/EFC period.
- (ii) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - the original provision of ₹28836.00 lakhs was augmented to ₹29636.00 lakhs by obtaining supplementary grant of

(पूरक अनुदान सहित) – कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

₹800.00 lakhs. However, there was a saving of ₹8070.90 lakhs (including supplementary grant) - due to receipt of less proposals and non-finalization of schemes.

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना”

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹14181.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹475.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹14656.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹2426.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – नए भारतीय प्रबंधन संस्थान के लिए कम निधियों की आवश्यकता, पुराने भारतीय प्रबंधन संस्थान से कम प्रस्ताव प्राप्त होने तथा कुछ स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(i) “Indian Institutes of Management (IIMs)”- the original provision of ₹14181.00 lakhs was augmented to ₹14656.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹475.00 lakhs. However, there was a saving of ₹2426.00 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards new Indian Institutes of Management, receipt of less proposals from old Indian Institutes of Management and non-finalization of some schemes.

(ii) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹4800.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹125.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹4925.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1236.90 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई; और

(ii) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - the original provision of ₹4800.00 lakhs was augmented to ₹4925.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹125.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1236.90 lakhs (including supplementary grant); and

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप योजना” –

(c) “Tribal Area Sub-Plan”-

(i) “भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹2309.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹75.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹2384.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹571.20 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) हुई।

(i) “Indian Institutes of Information Technology (IIITs)” - the original provision of ₹2309.00 lakhs was augmented to ₹2384.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹75.00 lakhs. However, there was a saving of ₹571.20 lakhs (including supplementary grant).

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें संशोधित लागत प्राकलन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to non-finalisation of revised cost estimates.

(ii) “भारतीय प्रबंधन संस्थान” – ₹7324.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹250.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹7574.00 लाख कर दिया गया। तथापि, ₹1422.50 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) नए भारतीय प्रबंधन संस्थानों के लिए कम निधियों की आवश्यकता, पुराने भारतीय प्रबंधन संस्थानों से कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने तथा कुछ स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ii) “Indian Institutes of Management (IIMs)”- the original provision of ₹7324.00 lakhs was augmented to ₹7574.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹250.00 lakhs. However, there was a saving of ₹1422.50 lakhs (including supplementary grant) - due to requirement of less funds towards new Indian Institutes of Management, receipt of less proposals from old Indian Institutes of Management and non-finalization of some schemes.

(III) मुख्य शीर्ष “2202” – “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा – अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹28390.00 लाख के मूल प्रावधान को ₹1530.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹29920.00 लाख कर दिया गया था जो, तथापि, ₹589.80 लाख की सीमा तक निर्माण कार्यकलापों के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त करने के कारण हुई।

(III) Under Major Head “2202” - “University and Higher Education - Special Component Plan for Scheduled Castes - University Grants Commission (UGC)”- the original provision of ₹28390.00 lakhs was augmented to ₹29920.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹1530.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of ₹589.80 lakhs - due to receipt of less proposals towards construction activities.

(IV) मुख्य शीर्ष “2251” – “सचिवालय – उच्चतर शिक्षा विभाग” – ₹401.68 लाख की बचत (₹10173.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के न भरे जाने, चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(IV) Under Major Head “2251” - “Secretariat - Department of Higher Education” - saving of ₹401.68 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10173.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less claims towards medical reimbursement and less tours undertaken.

(V) मुख्य शीर्ष “2202” – निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत बचतें हुईं:-

(V) Under Major Head “2202” - savings occurred under the following heads:

(का) “विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा” –

(A) “University and Higher Education”-

(क) “विश्वविद्यालयों को सहायता” –

(a) “Assistance to Universities”-

- (i) “उच्चतर शिक्षा” – ₹5669.07 लाख की बचत (₹11315.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने तथा स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (ii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹2037.75 लाख की बचत (₹3438.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –
- (i) “राष्ट्रीय अध्यापक तथा अध्यापन मिशन” – ₹559.02 लाख की बचत (₹1650.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।
- (ii) “उच्चतर शिक्षा” – ₹1080.00 लाख की बचत (₹2160.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा जम्मू और कश्मीर में कालेज से उपयोग प्रमाणपत्र प्राप्त न होने के कारण हुई।
- (iii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹500.37 लाख की बचत (₹708.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों/आरयूएसए संसाधन केंद्रों से कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।
- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –
- (i) “Higher Education”- saving of ₹5669.07 lakhs (against the sanctioned provision of ₹11315.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and non-finalization of schemes.
- (ii) “National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan”- saving of ₹2037.75 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3438.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Union Territories Governments.
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-
- (i) “National Mission on Teachers and Teaching”- saving of ₹559.02 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1650.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.
- (ii) “Higher Education”- saving of ₹1080.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2160.00 lakhs) was due to non-finalization of schemes and non-receipt of utilization certificate from college in Jammu and Kashmir.
- (iii) “National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan”- saving of ₹500.37 lakhs (against the sanctioned provision of ₹708.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals from the Union Territory Governments/RUSA Resource Centres.
- (c) “Tribal Area Sub-Plan”-

- (i) “उच्चतर शिक्षा” – ₹515.00 लाख की बचत (₹1055.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।
- (ii) “राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹242.69 लाख की बचत (₹354.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।
- (iii) “राष्ट्रीय अध्यापक तथा अध्यापन मिशन” – ₹280.54 लाख की बचत (₹825.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने के कारण हुई।
- (घ) “अन्य व्यय – राष्ट्रीय अध्यापक तथा अध्यापन मिशन” – ₹2891.00 लाख की बचत (₹8525.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों के कम प्राप्त होने के कारण हुई।
- (खा) “भाषा विकास” –
- (क) “निर्देशन और प्रशासन” –
- (i) “केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” – ₹267.26 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹2091.25 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों को न भरे जाने, कम दौरे किए जाने तथा चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।
- (i) “Higher Education”- saving of ₹515.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1055.00 lakhs) was due to non-finalization of schemes.
- (ii) National Education Mission: Rashtriya Uchhtar Shiksha Abhiyan”- saving of ₹242.69 lakhs (against the sanctioned provision of ₹354.00 lakhs) was due to receipt of less proposals from the Union Territory Governments.
- (iii) “National Mission on Teachers and Teaching” - saving of ₹280.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹825.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.
- (d) “Other Expenditure - National Mission on Teachers and Teaching” - saving of ₹2891.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8525.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals and non-finalization of schemes.
- (B) “Language Development”-
- (a) “Direction and Administration”-
- (I) “Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres”- saving of ₹267.26 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2091.25 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh) was due to non-filling up of vacant posts, less tours undertaken and receipt of less claims towards medical reimbursement.

(ii) “अन्य स्कीमें” – ₹692.66 लाख की बचत (₹2129.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक संगठनों और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अंतर्गत दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा तथा पत्राचार पाठ्यक्रमों के लिए कम संख्या में प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(i) “अन्य स्कीमें” – ₹362.63 लाख की बचत (₹412.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पत्राचार पाठ्यक्रमों, कैसेटों के जरिए हिंदी तथा हिंदी के क्षेत्र में प्रकाशन के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) “केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” – ₹449.12 लाख की बचत (₹450.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” – ₹193.99 लाख की बचत (₹225.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत एससीएसपी/टीएसपी संघटक के तहत व्यवहार्य प्रस्ताव कम संख्या में प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) “अन्य व्यय – केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, मैसूर (भारतीय भाषा संस्थान) और क्षेत्रीय भाषा केंद्र” – ₹341.74 लाख की बचत (₹984.75 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ii) “Other Schemes”- saving of ₹692.66 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2129.00 lakhs) was due to receipt of less number of proposals from Voluntary Organisations and Dakshin Bharat Hindi Prachar Sabha under Central Hindi Directorate and correspondence courses.

(b) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “Other Schemes”- saving of ₹362.63 lakhs (against the sanctioned provision of ₹412.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for Correspondence Courses, Hindi through Cassettes and Publication in the field of Hindi.

(ii) “Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres”- saving of ₹449.12 lakhs (against the sanctioned provision of ₹450.00 lakhs); and

(c) “Tribal Area Sub-Plan - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres” - saving of ₹193.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹225.00 lakhs).

Savings under above two heads were due to receipt of less number of viable proposals under SCSP/TSP component.

(d) “Other Expenditure - Central Institute of Indian Languages, Mysore (Bhartiya Bhasha Sansthan) and Regional Language Centres”- saving of ₹341.74 lakhs (against the sanctioned provision of ₹984.75 lakhs); and

(गा) “सामान्य” –

(क) “निदेशन और प्रशासन – विदेश स्थित शैक्षिक संस्थान” – ₹191.20 लाख की बचत (₹727.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत रिक्त पदों को न भरे जाने तथा कम दौरे किए जाने के कारण हुई।

(ख) “प्रशिक्षण – कौशल विकास” – ₹3100.50 लाख की बचत (₹3488.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(i) “कौशल विकास” – ₹600.00 लाख की बचत (₹675.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) की बचत हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) “छात्र वित्तीय सहायता” – ₹3099.90 लाख की बचत (₹34000.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

(iii) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹2879.98 लाख की बचत (₹6993.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ई-शोध सिंधु स्कीम में कम व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(i) “कौशल विकास” – ₹299.50 लाख की

(C) “General”-

(a) “Direction and Administration - Educational Institutions Abroad”- saving of ₹191.20 lakhs (against the sanctioned provision of ₹727.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-filling up of vacant posts and less tours undertaken.

(b) “Training - Skill Development”- saving of ₹3100.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3488.00 lakhs); and

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “Skill Development” - saving of ₹600.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹675.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals.

(ii) “Student Financial Aid”- saving of ₹3099.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹34000.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

(iii) “Digital India e-Learning”- saving of ₹2879.98 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6993.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals in the scheme e-Shodh Sindhu.

(d) “Tribal Area Sub-Plan”-

(i) “Skill Development”- saving of

बचत (₹337.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

- (ii) “डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹1252.99 लाख की बचत (₹3498.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम व्यवहार्य प्रस्तावों के प्राप्त होने के कारण हुईं।

- (iii) “छात्र वित्तीय सहायता” – ₹1753.70 लाख की बचत (₹17250.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

- (ड) “अंतर्राष्ट्रीय सहयोग – योजना, प्रशासन और वैश्विक तैनातियाँ” – ₹1514.92 लाख की बचत (₹5909.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रस्तावों के विलंब से प्राप्त होने और यूनेस्को हाऊस के निर्माण के लिए कम निधियों की आवश्यकता के कारण हुई।

- (च) “अन्य व्यय – डिजिटल इंडिया ई-लर्निंग” – ₹8823.11 लाख की बचत (₹36069.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य एआईएसएचई यूनिट को अनुदानों के अंतर्गत कम आवश्यकता होने, कम व्यावसायिकों की तैनाती किए जाने तथा कुछ स्कीमों के संचालन के आरंभिक चरण में होने के कारण हुई।

(VI) मुख्य शीर्ष “2203” – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के तहत बचतें हुईं:-

- (का) “प्रशिक्षण – प्रशिक्षु प्रशिक्षण छात्रवृत्तियों तथा वृत्तिकाओं के लिए कार्यक्रम” – ₹3287.01 लाख की बचत (₹8975.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों के नए अध्ययन/अनुमोदन के प्रक्रियाधीन होने के

₹299.50 lakhs (against the sanctioned provision of ₹337.00 lakhs); and

- (ii) “Digital India e-Learning”- saving of ₹1252.99 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3498.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals.

- (iii) “Student Financial Aid”- saving of ₹1753.70 lakhs (against the sanctioned provision of ₹17250.00 lakhs) was due to receipt of less claims.

- (e) “International Co-operation- Planning, Administration and Global Engagement”- saving of ₹1514.92 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5909.00 lakhs) was due to delayed receipt of proposals and requirement of less funds towards construction of UNESCO house.

- (f) “Other Expenditure- Digital India e-Learning”- saving of ₹8823.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹36069.00 lakhs) was due to less requirement under grants to State AISHE unit, engagement of less professionals and some schemes being in initial stage of operation.

(VI) Under Major Head “2203”- savings occurred under the following heads:

- (A) “Training - Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends”- saving of ₹3287.01 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8975.00 lakhs) was due to fresh appraisal/ approval

कारण और आईसीएसएसआर के क्षेत्रीय केंद्रों में वेतन संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(खा) “अनुसंधान – अनुसंधान और नवोन्मेष” – ₹4171.93 लाख की बचत (₹0.10 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹24664.10 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान पार्कों की स्थापना के लिए व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(गा) “इंजीनियरिंग, तकनीकी कालेज और संस्थान – भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार परियोजना” – ₹9146.00 लाख की बचत (₹20150.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(क) “भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार परियोजना” – ₹786.00 लाख की बचत (₹3900.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें कम प्रस्तावों की प्राप्ति होने, स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा एसएफसी/ईएफसी अवधि पूरी होने के कारण कम आवश्यकता के कारण हुई।

(ख) “प्रशिक्षु प्रशिक्षण छात्रवृत्तियों तथा वृत्तिकाओं के लिए कार्यक्रम” – ₹494.27 लाख की बचत (₹1350.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों के नए अध्ययन/अनुमोदन के प्रक्रियाधीन होने के कारण और आईसीएसएसआर के क्षेत्रीय केंद्रों में वेतन संशोधन को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ग) “अनुसंधान और नवोन्मेष” – ₹1329.79 लाख की बचत (₹4741.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

of some schemes being under way and non-finalisation of pay revision in regional centers of ICSSR.

(B) “Research - Research and Innovation”- saving of ₹4171.93 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹24664.10 lakhs including token supplementary grant of ₹0.10 lakh) was due to less receipt of viable proposals for setting up of research parks and non-finalization of schemes.

(C) “Engineering, Technical Colleges and Institutes- Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)”- saving of ₹9146.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹20150.00 lakhs); and

(D) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(a) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)”- saving of ₹786.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3900.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to receipt of less proposals, non-finalization of schemes and less requirement owing to completion of SFC/EFC period.

(b) “Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends”- saving of ₹494.27 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1350.00 lakhs) was due to fresh appraisal/ approval of some schemes being under way and non-finalisation of pay revision in regional centers of ICSSR.

(c) “Research and Innovation”- saving of ₹1329.79 lakhs (against the sanctioned provision of ₹4741.00 lakhs); and

(ड) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

(क) “अनुसंधान और नवोन्मेष” – ₹668.45 लाख की बचत (₹2140.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति तथा कुछ स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(ख) “प्रशिक्षु प्रशिक्षण छात्रवृत्तियों तथा वृत्तिकाओं के लिए कार्यक्रम” – ₹246.82 लाख की बचत (₹675.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कुछ स्कीमों के नए अध्ययन/अनुमोदन के प्रक्रियाधीन होने के कारण हुई।

(ग) “भारत सरकार की तकनीकी शिक्षा गुणता सुधार परियोजना” – ₹393.00 लाख की बचत (₹1950.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) व्यवहार्य प्रस्तावों की कम प्राप्ति होने, कुछ स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने तथा एसएफसी/ईएफसी अवधि पूरी होने के कारण कम आवश्यकता होने की वजह से हुई।

(घ) “अन्य व्यय – राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग संरचना” – ₹246.45 लाख की बचत (₹391.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के प्रचालन के आरंभिक चरण में होने के कारण कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(VII) मुख्य शीर्ष “3601” – “राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुई:-

(का) “विशेष सहायता – विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार” – ₹2391.00 लाख की बचत (₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित ₹54251.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(E) “Tribal Area Sub-Plan”-

(a) “Research and Innovation” - saving of ₹668.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2140.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to less receipt of viable proposals and non-finalization of some schemes.

(b) “Programme for Apprenticeship Training Scholarships and Stipends” - saving of ₹246.82 lakhs (against the sanctioned provision of ₹675.00 lakhs) was due to fresh appraisal/ approval of some schemes being under way.

(c) “Technical Education Quality Improvement Project of Government of India (EAP)” - saving of ₹393.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1950.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals, non-finalization of some schemes and less requirement owing to completion of SFC/EFC period.

(F) “Other Expenditure - National Institutional Ranking Framework” - saving of ₹246.45 lakhs (against the sanctioned provision of ₹391.00 lakhs) was due to receipt of less proposals owing to scheme being in initial stage of operation.

(VII) Under Major Head “3601” - “Other Transfer/Grants to States” - savings occurred under the following heads:

(A) “Special Assistance-Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers” - saving of ₹2391.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹54251.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार” – ₹375.00 लाख की बचत (₹10500.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – विश्वविद्यालय और कालेज के अध्यापकों के वेतनमान में सुधार” – ₹175.00 लाख की बचत (₹5250.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

बचतें उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत राज्य सरकारों से राज्य कालेजों और विश्वविद्यालयों में छठे केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन के लिए कम दावे प्राप्त होने के कारण हुईं।

(VIII) मुख्य शीर्ष “3602” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें” – के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा- राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹4953.24 लाख की बचत (₹5345.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);

(खा) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹1029.17 लाख की बचत (₹1105.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(गा) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹512.09 लाख की बचत (₹550.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

उपर्युक्त तीन शीर्षों के अंतर्गत बचतें विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों से कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुईं:-

(IX) एक शीर्ष के अंतर्गत ₹63.04 लाख की बचत हुई जो, कुल स्वीकृत प्रावधान का 63 प्रतिशत थी।

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers” - saving of ₹375.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹10500.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - Improvement in the Pay Scale of University and College Teachers”- saving of ₹175.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5250.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less claims from the State Governments for implementation of 6th Central Pay Commission in State Colleges and Universities.

(VIII) Under Major Head “3602” - “Centrally Sponsored Schemes”- savings occurred under the following heads:

(A) “Central Assistance/ Share - National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹4953.24 lakhs (against the sanctioned provision of ₹5345.00 lakhs);

(B) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)”- saving of ₹1029.17 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1105.00 lakhs); and

(C) “Tribal Area Sub-Plan - National Education Mission: Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - saving of ₹512.09 lakhs (against the sanctioned provision of ₹550.00 lakhs).

Savings under the above three heads were due to receipt of less proposals from Union Territories with Legislature.

(IX) Under one head saving of ₹63.04 lakhs occurred constituting 63 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹222186.85 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत ₹153280.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(का) मुख्य शीर्ष “2202” –

(क) “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” –

(i) “विश्वविद्यालयों को सहायता” –

(1) “विश्वविद्यालय अनुदान आयोग” – ₹7223.48 लाख।

(2) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹1614.32 लाख, वास्तविक व्यय, तथापि ₹1614.24 लाख था।

(3) “केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹58432.18 लाख।

(ii) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹3186.10 लाख।

(iii) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – केंद्रीय विश्वविद्यालयों को अनुदान” – ₹1576.72 लाख।

(ख) “भाषा विकास” –

(i) “निर्देशन और प्रशासन – वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग” – ₹456.40 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹341.01 लाख था।

(ii) “आधुनिक भारतीय भाषाओं और साहित्य का संवर्द्धन – भारतीय भाषाओं के संवर्द्धन के लिए अनुदान” – ₹3860.99 लाख।

2.(I) The above savings were partly (₹222186.85 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹153280.00 lakhs under the following major heads:

(A) Major Head “2202”-

(a) “University and Higher Education”-

(i) “Assistance to Universities”-

(1) “University Grants Commission (UGC)” - ₹7223.48 lakhs.

(2) “Assistance to Other Institutions” - ₹1614.32 lakhs. Actual excess, however, was ₹1614.24 lakhs.

(3) “Grants to Central Universities”- ₹58432.18 lakhs.

(ii) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Grants to Central Universities”- ₹3186.10 lakhs.

(iii) “Tribal Area Sub-Plan - Grants to Central Universities”- ₹1576.72 lakhs.

(b) “Language Development”-

(i) “Direction and Administration - Commission for Scientific and Technical Terminology”- ₹456.40 lakhs. Actual excess, however, was ₹341.01 lakhs.

(ii) “Promotion of Modern Indian Languages and Literature- Grants for Promotion of Indian languages”- ₹3860.99 lakhs.

(ग) “सामान्य – छात्रवृत्तियाँ – छात्र वित्तीय सहायता” – ₹2597.07 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹1617.83 लाख था।

(c) “General - Scholarships - Student Financial Aid”- ₹2597.07 lakhs. Actual excess, however, was ₹1617.83 lakhs.

(खा) मुख्य शीर्ष “2203” –

(B) Major Head “2203”-

(क) “प्रशिक्षण” –

(a) “Training”-

(i) “राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान” – ₹4761.14 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹4761.13 लाख था।

(i) “National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)”- ₹4761.14 lakhs. Actual excess, however, was ₹4761.13 lakhs.

(ii) “शिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड, बॉम्बे, कलकत्ता, कानपुर और चेन्नई” – ₹265.00 लाख।

(ii) “Board of Apprenticeship Training, Bombay, Calcutta, Kanpur and Chennai”- ₹265.00 lakhs.

(ख) “इंजीनियरिंग, तकनीकी कालेज और संस्थान” –

(b) “Engineering, Technical Colleges and Institutes”-

(i) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹53400.75 लाख।

(i) “Indian Institutes of Technology (IITs)”- ₹53400.75 lakhs.

(ii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹45246.32 लाख।

(ii) “National Institutes of Technology (NITs)”- ₹45246.32 lakhs.

(iii) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹10731.67 लाख।

(iii) “Assistance to other Institutions”- ₹10731.67 lakhs.

(iv) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹5107.73 लाख।

(iv) “Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs)”- ₹5107.73 lakhs.

(v) “भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता” – ₹2890.00 लाख।

(v) “Support to Indian Institute of Science (IISc)”- ₹2890.00 lakhs.

(ग) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना” –

(c) “Special Component Plan for Scheduled Castes”-

(i) “राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान” – ₹263.70 लाख।

(i) “National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)”- ₹263.70 lakhs.

- (ii) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹6474.00 लाख।
- (iii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹4708.40 लाख।
- (iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹971.19 लाख।
- (v) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹924.16 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹924.15 लाख था।
- (vi) “भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता” – ₹415.00 लाख।

(घ) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना” –

- (i) “राष्ट्रीय तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान” – ₹122.79 लाख।
- (ii) “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹3346.25 लाख।
- (iii) “राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान” – ₹2402.28 लाख।
- (iv) “अन्य संस्थानों को सहायता” – ₹544.09 लाख। वास्तविक अधिक व्यय, तथापि, ₹538.49 लाख था।
- (v) “भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” – ₹470.12 लाख।
- (vi) “भारतीय विज्ञान संस्थान को सहायता” – ₹195.00 लाख।

- (ii) “Indian Institutes of Technology”- ₹6474.00 lakhs.
- (iii) “National Institutes of Technology (NITs)”- ₹4708.40 lakhs.
- (iv) “Assistance to other Institutions”- ₹971.19 lakhs.
- (v) “Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs)”- ₹924.16 lakhs. Actual excess, however, was ₹924.15 lakhs.
- (vi) “Support to Indian Institute of Science (IISc)”- ₹415.00 lakhs.

(d) “Tribal Area Sub-Plan”-

- (i) “National Institutes of Technical Teachers Training and Research (NITTTRs)”- ₹122.79 lakhs.
- (ii) “Indian Institutes of Technology”- ₹3346.25 lakhs.
- (iii) “National Institutes of Technology (NITs)”- ₹2402.28 lakhs.
- (iv) “Assistance to other Institutions”- ₹544.09 lakhs. Actual excess, however, was ₹538.49 lakhs.
- (v) “Indian Institutes of Science Education and Research (IISERs)”- ₹470.12 lakhs.
- (vi) “Support to Indian Institute of Science (IISc)”- ₹195.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

- (का) मुख्य शीर्ष “2202” – “विश्वविद्यालय और उच्चतर शिक्षा” –
- (क) “विश्वविद्यालयों को सहायता— इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹1162.00 लाख का अधिक व्यय (₹6588.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹225.00 लाख का अधिक व्यय (₹1275.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – इग्नू और राज्य मुक्त विश्वविद्यालयों को सहायता” – ₹113.00 लाख का अधिक व्यय (₹637.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (खा) मुख्य शीर्ष “3601” – “केंद्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें”
- (क) “केंद्रीय सहायता/हिस्सा— राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹14637.90 लाख का अधिक व्यय (₹79823.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में);
- (ख) “अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹2098.91 लाख का अधिक व्यय (₹16477.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और
- (ग) “जनजातीय क्षेत्र उप-योजना – राष्ट्रीय शिक्षा मिशन : राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान” – ₹1135.96 लाख का अधिक व्यय (₹8200.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।
- (A) Major Head “2202” - “University and Higher Education”-
- (a) “Assistance to Universities- Assistance to IGNOU and State Open Universities”- excess of ₹1162.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹6588.00 lakhs);
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes- Assistance to IGNOU and State Open Universities”- excess of ₹225.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹1275.00 lakhs);
- (c) “Tribal Area Sub-Plan - Assistance to IGNOU and State Open Universities”- excess of ₹113.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹637.00 lakhs);
- (B) Major Head “3601”- “Centrally Sponsored Schemes”-
- (a) “Central Assistance/Share - National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)”- excess of ₹14637.90 lakhs (against the sanctioned provision of ₹79823.00 lakhs);
- (b) “Special Component Plan for Scheduled Castes - National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)”- excess of ₹2098.91 lakhs (against the sanctioned provision of ₹16477.00 lakhs); and
- (c) “Tribal Area Sub-Plan - National Education Mission: Rashtriya Uchchar Shiksha Abhiyan (RUSA)” - excess of ₹1135.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹8200.00 lakhs).

उपर्युक्त छह शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

Excess under the above six heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilization on schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

---